न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न. 2/2020

पीठासीन अधिकारी
सूर्यकान्त शर्मा (आरटीएस)

1. दीपचन्द
2. मातादीन
3. श्रीराम
4. हरिराम पुत्रान श्री मक्खन जाति चमार निवासी दादूका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. छीतर पुत्र सोणा
2. हनुमान पुत्र रामसहाय
3. बनवारी
4. राजेन्द्र
5. जयसिंह पुत्र छीतर
6. लखमीचन्द उर्फ लाखी
7. अनिल
8. मनोज पुत्रान पप्पू
9. सुनिल उर्फ सन्नी
10. अमन
11. राहुल पुत्रान बनवारी
12. राजेश
13. ओमप्रकाश
14. हीरालाल
15. मोतीलाल पुत्रान हनुमान
16. रणजीत
17. नरेश पुत्रान जयसिंह
18. श्रीमति मनोहरी पत्नि पप्पूराम
19. श्रीमति नीमली पत्नि बनवारी
20. कौशल्या पत्नि जयसिंह
21. पपीता पत्नि राजेन्द्र
22. उषा पत्नि सुनिल उर्फ सन्नी जाति चमार निवासी दादूका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

अप्रार्थी गण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

निर्णय

दिनांक– 17.8.2021

तहसीलदार
कोटपूतली (ज

पत्रावली पेश हुई वाकुलाय उपस्थित आये।

सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता प्रेमप्रकाश शर्मा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई ।प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वाके ग्राम दादूका के खसरा नंबर 651/0.6300,651/1318/0.7300 कुल किता 2 रकबा 1.36 है प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थीगण 1 लगायत 22उक्त खातेदारी भूमि से कोई लेना नहीं है ना कभी रहा है। अप्रार्थीगण 1 व 3 बाजोर ,ताकतवर एवं झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं अपनी ताकत के बल पर जबरन प्रार्थी गण की भूमि पर कब्जा करने , प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं। प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश करने , निर्माण कार्य करने व अतिकमण करने पर उतारू हैं तथा प्रार्थी गण के कब्जे काश्त में माजहमत करने की धमकी दे रहे हैं जबकि अप्रार्थी गण संख्या 1 लगायत 22 को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द करे कि प्रार्थीगण को उक्त आराजियात का शांति पूर्वक उपयोग व उपयोग करने देवें।

अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता कुलदीप उपस्थित आये तथा अपना जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना 183 (बी) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया है। व अनुतोष चाहा गया है कि आराजी खसरा नंबर 651/1318 वाके मौजा दादूका पर प्रार्थीगण काबिज कास्त है व अप्रार्थीगण बेदखल करने की धमकी व कब्जा करने की धमकी, निर्माण करने की धमकी दे रहे है इसलिये अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रार्थीगण की कब्जे शुदा भूमि पर कब्जा नहीं करें व मजाहमत नहीं करें। जबकि धारा 183 (बी) काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की कृषि भूमि पर अन्य वर्ग का व्यक्ति काबिज है तो उसे इस धारा के अर्न्तगत बेदखल किया जावेगा। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है अप्रार्थीगण उक्त विवादित नम्बरान पर काबिज है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183(बी) काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थीगण व अधिवक्ता प्रार्थी ने दिनांक 11.8.2021 को स्वंय उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम दादूका के खसरा नंबर 651/0.63,651/1318/0.73 किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसपर प्रार्थीगण काबिज हैं और कास्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात पर किसी दीगर व्यक्यिों का कब्जा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 183 बी के तहत कोई कार्यवाही नहीं चाहते इसलिय कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ,अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.8.2021पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वाके ग्राम दादूका के खसरा नंबर 651/0.63,651/1318/0.73 किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसपर प्रार्थीगण काबिज हैं और कास्त करते चले आ रहे हैं। जिसे अप्रार्थीगण ताकत के बल पर जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के जबाब के अनुसार उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज कास्त हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.8.2021 के अनुसार उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज हैं। किन्हीं दीगर व्यक्तियों का कब्जा नहीं है। अतः उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर अतिकमण किया जाना सिद्व नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 (बी) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत विचार करने योग्य नहीं प्रतीत होता। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 183 (बी) पर कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.8.2021 को सरे इजलास सुनाया गाय।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)